आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
13/07/17	**न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा।** नामांतरण अपील वाद सं0 09/2013–14 विनय कुमार तिवारी वगै0 – अपीलार्थीगण बनाम राम चन्द्र मिस्त्री वगै0 – प्रत्यार्थी आदेश अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह वाद अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर ग्राम–कल्याणपुर, थाना एवं जिला–गढ़वा के खाता सं0–10, प्लॉट–1727, रकबा–0.25¼ एकड़ का अंचल अधिकारी, गढ़वा के विविध वाद सं0– 24/2005–06 दिनांक 15.06.2005 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपील आवदेन पत्र सुनवाई कर अंगीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख की मांग की गई। इस वाद में विपक्षी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रत्युत्तर दाखिल किए एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख विविध वाद सं0–24/2005–06 प्राप्त हुआ। उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना। अपीलार्थी का कहना है कि सर्वे खतियान के अनुसार खाता सं0–10, प्लॉट सं0–1727 का कुल रकबा 1.22 एकड़ है। अपील आवेदन पत्र में दिये गए वंशावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बनवारी मिस्त्री को 0.20 1/3 ए0 एवं मवल मिस्त्री के 0.20 1/3 डी0 हिस्से में प्राप्त हुआ। बनवारी मिस्त्री के चार पुत्र के बीच एक–एक लड़का का हिस्सा $5\frac{1}{18}$डी0 प्राप्त होता है एवं मवल मिस्त्री के उत्तराधिकारी को 20 1/3 ए0 जमीन प्राप्त है। मवल मिस्त्री के पुत्र नन्द किशोर मिस्त्री ने अपने हिस्से की जमीन में विक्रय पत्र सं0–6896 दिनांक 13.08.2007 एवं विक्रय पत्र स0–6899 दिनांक 13.08.2007 द्वारा जब्बार अंसारी एवं खातुना बीबी से बिक्री कर दिए एवं विक्रय पत्र सं0–6900 दिनांक 13.08.2007 को पुनः 5 1/8 डी0 जब्बार अंसारी से बिक्री कर दिये। इस प्रकार नन्द किशोर मिस्त्री का कुल 0.15 3/8 एकड़ जमीन बिक्री कर दिये। कालांतर में जब्बार अंसारी ने अपनी खरीदगी में से 0.3 डी0 जमीन ओसीर असारी से विक्रय पत्र सं0–7995 दिनांक 12.12.2009 द्वारा बिक्री कर दिये तथा विक्रय पत्र सं0 886 दिनांक 08.08.2010 एवं 989 दिनांक 13.08.2010 से 4 2/8 डी0 जमीन बिक्री सत्येन्द्र प्रसाद गुप्ता से कर दिये। सत्येन्द्र प्रसाद गुप्ता ने अपनी खरीदी गई 4 2/8 डी0 जमीन प्लॉट सं0–1727 में से अपीलार्थी विनय कुमार तिवारी को सं0–2637 दिनांक 29.03.2010 के द्वारा बिकी कर दिया एवं ओसीर अंसारी ने भी विक्रय पत्र सं0–4696 दिनांक 18.06. 2011 अपीलार्थी विनय कुमार तिवारी बेच दिया। इस प्रकार कुल 0.7 1/4 डी0 अपीलार्थी सं0 एक का खरीदगी संपति तथा साथ ही जब्बार अंसारी ने विक्रय पत्र सं0 118 दिनांक 06.03.2012 के अपीलार्थी अशोक कुमार पाण्डेय से बिक्री कर दिये थे। खरीदगी तिथि से अपीलार्थी का विषय वस्तु का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अंचल कार्यालय, गढ़वा के विविध वाद सं0–24/2005–06 में दिनांक 15.06.2005 को अवैध तरीके से जमाबंदी कायम कर दी गई है। विपक्षी ने जालसाजी कर गलत कागज तैयार कर आवेदक के पक्ष में आवेदन जमाबंदी कायम किया गया है। आवेदक को जानकारी के बाद नकल लेकर दाखिल किया गया है तथा

P.N. 136–
15-7-17
P.N. 131–
15-7-17

Scanned with CamScanner

लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। अतः अंचल कार्यालय, गढ़वा के विविध वाद सं0 24/2005–06 दिनांक–15.06.2005 को अपास्त किया जाए।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि यह अपील आदेश के लगभग 8 वर्ष बाद दाखिल किया गया है, जो स्वीकृति योग्य नहीं है। विपक्षी का कहना है कि अपीलार्थी का वंशावली उचित नहीं है, वंशावली में मवल मिस्त्री की एक मात्र पुत्री प्रेमा देवी दिखलाया गया है जबकि भवल मिस्त्री की दो और पुत्री सोना देवी एवं मानमती देवी थी। विपक्षी का कहना है कि लल्लु मिस्त्री नावल्द मर गए थे, उनके मरणोपरान्त उसके हिस्से की भूमि का स्वामित्व विपक्षी राम चन्द्र मिस्त्री के पिता जीवनन्दन मिस्त्री को प्राप्त हुआ। जीवनन्दन मिस्त्री के एकमात्र पुत्र अलियार मिस्त्री हुए जो अपने हिस्से की भूमि को विक्रय पत्र सं0–6702 दिनांक 08.08.1966 के द्वारा विपक्षी के चारों भाइयों के नाम से कर दिए थे तब से ही इस पर विपक्षी का शान्तिपूर्ण दखल कब्जा है। विदित हो कि झगडु मिस्त्री के दो पुत्र हुए जिनमें से मवल मिस्त्री ने रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान के अनुसार सादा कागज पर 14 कार्तिक 1361 फसली को मात्र 35 रू0 में अपने हिस्से की जमीन राम चन्द्र मिस्त्री से बिक्री कर दिये थे। इस प्रकार मवल मिस्त्री के हिस्से की भूमि 20½ डी0 एवं अपने हिस्से का 5 1/8 डी0 जमीन कुल 25¾ डी0 जमीन का मालिक हुए और खतियान में दर्ज लगान को चालू कराने का आवेदन दिया था जिसपर नियमानुसार हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक जांचोपरान्त आम इस्तेहार प्रकाशित कर अंचल अधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है। विषय वस्तु की जमीन का नामांतरण के लिए जब्बार अंसारी एवं खातुना बीबी ने अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था जिसका वाद सं0–465/09 को जांच कराया गया तथा तथ्यहीन पाए जाने के कारण खारीज कर दिया गया।

विविध वाद सं0–24/2005–06 में अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमानुसार है इसलिए अपीलार्थी का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाए।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क एवं उभयपक्ष के द्वारा दाखिल कागजात साथ ही निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सादा कागज पर किया ट्रांसफर जमीन की वैधता की जांच अंचल अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया कि इतने वर्षों के बाद इस पर कोइ भी कार्रवाई अपेक्षित है या नहीं, साथ ही सरकार के द्वारा अंचल अधिकारी की मांग खोलने की शक्ति वर्ष 1966 मे ही विलोपित की गयी है। तत्पश्चात उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार/अनुमंडल पदाधिकारी को शक्ति प्रदान की गई है।

अतः विविध वाद सं0–24/2005–06 में दिनांक–15.06.2005 को किए गए आदेश को अपास्त करते हुए अपील आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचल अधिकारी, गढ़वा को भेजने का निदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

03/07/17

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

03/07/17

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

Scanned with CamScanner